

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 862]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2014/चैत्र 19, 1936

No. 862]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2014/CHAITRA 19, 1936

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2014

का.आ. 1053(अ).—भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (3) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड(ii) में 1 मार्च, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 466(अ.) दिनांक 1 मार्च, 2011 में निम्नांकित संशोधन करती है, यानी:-

2. उक्त अधिसूचना में, 'धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (घ) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्यों' नामक शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित होंगी, नामतः:-

“11.	डा० सुरेश एस० होन्नाप्पागोल, पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)”
------	---	------------------

[फा. सं. 52-40/2009-एलडीटी(वीसी)]

राजनी सेखरी सिबल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- मूल अधिसूचना का.आ. 466(अ), दिनांक 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् का.आ. 2757(अ), दिनांक 12 सितम्बर, 2013 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2014

S.O. 1053(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (6) of section 3, read with section 7 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) *number* S.O. 466 (E), dated the 1st March, 2011 published in Part-II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary, dated the 1st March, 2011, namely:-

- In the said notification, under the heading “Members nominated by the Central Government under clause (d) of sub-section (3) of section 3,” for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“11.	Dr.Suresh S. Honnappagol, Animal Husbandry Commissioner, Government of India, Krishi Bhavan, New Delhi	Member (ex-officio).”
------	--	-----------------------

[F. No. 52-40/2009-LDT (VC)]

RAJNI SEKHRI SIBAL, Jt. Secy.

Note:-The principal notification was published vide number S.O.466(E), dated the 1st March, 2011 and subsequently amended vide number S.O.2757(E), dated 12th September, 2013.